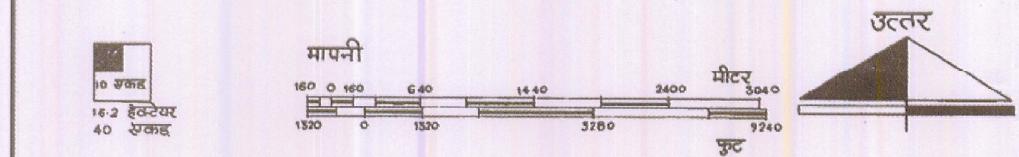


मेरठ महायोजना 2021



संकेतिका :-

- गामीण आबादी / मावी विस्तार
- निर्मित आवासीय क्षेत्र
- आवासीय क्षेत्र (मध्यम घनत्व 300 से 450 व्यक्ति प्रति हेक्टे.)
- आवासीय क्षेत्र (निम्न घनत्व 250 से 300 व्यक्ति प्रति हेक्टे.)
- व्यवसायिक
- थोक मण्डी
- उद्योग
- कार्यालय
- सार्वजनिक सुविधाएँ (शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सुविधाएँ)
- ऐतिहासिक स्थल
- बस उड्डा
- ट्रांसपोर्ट नगर
- हवाई पट्टी
- रेलवे लाईन एवं रेलवे क्षेत्र / रेलवे स्टेशन
- कार्गो सेक्टर
- मार्ग वर्तमान / प्रस्तावित / आन्तरिक
- पार्क एवं खुले स्थल / स्टेडियम
- ग्रीन जर्ज
- वन
- सीवेज ट्रीटमेंट एवं डम्पिंग ग्राउंड
- कबिरेतान एवं श्मशान
- तालाब, नदी, राजवहा एवं नाले
- नगरीय कृषि क्षेत्र
- कृषि क्षेत्र
- ग्राम सीमा
- नगर निगम सीमा
- विकास क्षेत्र सीमा
- अपरिभाषित क्षेत्र
- ऊपरली सेतु
- प्रथम चरण (2004 से 2011) / द्वितीय चरण (2012 से 2021)

मेरठ विकास प्राधिकरण

1. की स्वीकृत योजना
2. की स्वीकृत योजना
3. की स्वीकृत योजना
4. की स्वीकृत योजना
5. की स्वीकृत योजना
6. की स्वीकृत योजना
7. की स्वीकृत योजना
8. की स्वीकृत योजना
9. की स्वीकृत योजना
10. की स्वीकृत योजना
11. की स्वीकृत योजना
12. की स्वीकृत योजना
13. की स्वीकृत योजना
14. की स्वीकृत योजना
15. की स्वीकृत योजना
16. की स्वीकृत योजना
17. की स्वीकृत योजना
18. की स्वीकृत योजना
19. की स्वीकृत योजना
20. की स्वीकृत योजना
21. की स्वीकृत योजना
22. की स्वीकृत योजना
23. की स्वीकृत योजना
24. की स्वीकृत योजना
25. की स्वीकृत योजना
26. की स्वीकृत योजना
27. की स्वीकृत योजना
28. की स्वीकृत योजना
29. की स्वीकृत योजना
30. की स्वीकृत योजना
31. की स्वीकृत योजना
32. की स्वीकृत योजना
33. की स्वीकृत योजना
34. की स्वीकृत योजना
35. की स्वीकृत योजना
36. की स्वीकृत योजना
37. की स्वीकृत योजना
38. की स्वीकृत योजना
39. की स्वीकृत योजना
40. की स्वीकृत योजना
41. की स्वीकृत योजना
42. की स्वीकृत योजना
43. की स्वीकृत योजना
44. की स्वीकृत योजना
45. की स्वीकृत योजना
46. की स्वीकृत योजना
47. की स्वीकृत योजना
48. की स्वीकृत योजना
49. की स्वीकृत योजना
50. की स्वीकृत योजना
51. की स्वीकृत योजना
52. की स्वीकृत योजना
53. की स्वीकृत योजना
54. की स्वीकृत योजना
55. की स्वीकृत योजना
56. की स्वीकृत योजना
57. की स्वीकृत योजना
58. की स्वीकृत योजना
59. की स्वीकृत योजना
60. की स्वीकृत योजना
61. की स्वीकृत योजना
62. की स्वीकृत योजना
63. की स्वीकृत योजना
64. की स्वीकृत योजना
65. की स्वीकृत योजना
66. की स्वीकृत योजना
67. की स्वीकृत योजना
68. की स्वीकृत योजना
69. की स्वीकृत योजना
70. की स्वीकृत योजना
71. की स्वीकृत योजना
72. की स्वीकृत योजना
73. की स्वीकृत योजना
74. की स्वीकृत योजना
75. की स्वीकृत योजना
76. की स्वीकृत योजना
77. की स्वीकृत योजना
78. की स्वीकृत योजना
79. की स्वीकृत योजना
80. की स्वीकृत योजना
81. की स्वीकृत योजना
82. की स्वीकृत योजना
83. की स्वीकृत योजना
84. की स्वीकृत योजना
85. की स्वीकृत योजना
86. की स्वीकृत योजना
87. की स्वीकृत योजना
88. की स्वीकृत योजना
89. की स्वीकृत योजना
90. की स्वीकृत योजना
91. की स्वीकृत योजना
92. की स्वीकृत योजना
93. की स्वीकृत योजना
94. की स्वीकृत योजना
95. की स्वीकृत योजना
96. की स्वीकृत योजना
97. की स्वीकृत योजना
98. की स्वीकृत योजना
99. की स्वीकृत योजना
100. की स्वीकृत योजना

मेरठ सम्भागिय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ.प्र.

राजस्थान नगरपालिका
नगरपालिका

शासनादेश संख्या 5360/8-3-06-5/महा/2003 टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ,
दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा स्वीकृत एवं विज्ञापित के प्रकाशन दिनांक 23.10.06 से प्रभावी।

LEGEND

- EXISITING SCHEME
- ONGOING SCHEME

S.N.	SCHEMES
1.	MANGAL PANDEY NAGAR, Yojna No.-1
2.	TRANSPORT NAGAR, Yojna No.-2
3.	SHASTRI NAGAR, Yojna No.-3
4.	MOHANPURI, Yojna No.- 4
5.	VIKASPURI, Yojna No.-5
6.	JAGRATI VIHAR, Yojna No.- 6
7.	SHASTRI NAGAR, Yojna No.-7
8.	MADHAVPURAM, Yojna No.-10
9.	JAGRATI VIHAR EXTENSION, Yojna No.-11

NOTE - SCHEME BOUNDRIES SHOWN ARE TANTATIVE

